के सदर्भ में महत्वपूर्ण प्रयासों और समय की आवश्यकता थी । हाल में, अर्थ-व्यवस्था के अन्य महत्व पूर्णक्षत्रों के लिये धनराशि हतु प्रतिस्पर्धात्मक दावों की वजह से धनराशि की उपलब्धता की परेशानियां रही है ।

Contract with South Korea for the supply of Heavy Water

6859. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have signed a contract with South Korea for the supply of heavey water;

(b) if so, the terms and reference of the contract;

(c) whether similar contract was made earlier with any other Government; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTERS OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) Yes, Sir.

(b) A Contract has been signed on 8.4.1994 between the Department of Atomic Energy and Korea Electric Power Corporation for sale of 100 Tonnes of Heavy Water to be supplied to them in 1998 of a total value of US $ 22.75 millions The supply would be subject to International Atomic Engery Agency (IAEA) safeguards.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Functioning of units I & II of raps

6860. SHRI SANJAY DALMIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that both the Units I and II of the Rajasthan Atomic Power Plant have been derated;

(b) if so, whether the fault at Unit I which was repaired, was not fool-proof, forcing the derating in Unit-I;

(c) whether the problems relating to the fuel handling system in Unit II has since been rectified; and

(d) by when both the Units are expected to generate at their fullest capacity?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) Rajasthan Atomic Power Station Unit-2 with an original capacity of 220 MWe was rerated to 200 MWe with effect from April 1, 1991, based on operating experience with regard to the cooling water temperature of the lake. The operating power, level of Unit-1, the first. Pressurised Heaxy Water Reactor (PHWR) unit in India with an original capacity of 220 MWe, was restricted to 100 MWe since 1987 consequent on the repair of the south end shield by mechanical sealing of the light water leak. This unit was rerated to 100 MWe with effect from January 1, 1992. These are rhe first two units of Pressurised Heavy Water Reactos (PHWRs) in the country built with Canadian co-operation.

(b) The light water leak in the south end shield originated in an inaccessible and high radiation area. Replacement of the end shields is a very romplex task. The rerating has therefore become necessary to limit the stresses on the material of the end shield and prevent further propagation of the flows.

(c) Yes, Sir.

(d) For reasons given in (a) and (b) the generation from the units will be as per the revised capacities.

[illegible] के संबंधित लोगों के क्षति-पूर्ति संबंधी मामलों का निपटान

6861. श्री [illegible] : क्या [illegible] और [illegible] 21 अप्रैल, 1994 और 28 अप्रैल, 1994 को राज्य सभा में क्रमश: अतारांकित प्रश्न

सं० 3874 और 4860 के दिये गये उत्तरों को देखेंगे और बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सरकार से इस आशय की कोई सिफारिश की है कि गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों को 56 वार्डों में सहायता के रूप में प्रति व्यक्ति 200/- रुपये की राशि वितरित की जायेगी, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है और

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1988 में गैस त्रासदी से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कोई 7 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, यदि हां, तो अभी भी वितरित किये जाने के लिये कितनी धनराशि शेष है और वह कब तक दे दी जायेगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी सिफारिश की थी । उच्चतम न्यायालय के कहने पर यह निर्णय किया गया है कि दूसरे चरण में अंतरिम राहत का भुगतान गंभीर रूप से प्रभावित 36 वार्डों के आयकर, संपत्ति कर दाताओं, सपत्ति कर और बिक्री-कर निर्धारितियों, सरकारी कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के अलावा अन्य दावेदारों तक ही सीमित किया जाये ।

(ख) गैस पीड़ितों के लिये राहत और पुनर्वास हेतु 7 वर्ष की कार्य योजना के लिये प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से 1988 में प्राप्त हुआ था लेकिन केन्द्रीय सरकार ने 163.10 करोड़ रु० की 5 वर्षीय योजना को 1.4.90 से प्रभाव में आई, को मंजूर किया था । इस संबंध में खर्च को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार 75:25 के अनुपात में वहन करेगी । अब तक 96 करोड़ रु० की राशि खर्च की जा चुकी है और केन्द्रीय सरकार का शेष हिस्सा किश्तों में दिया जायेगा जो विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर निर्भर करेगा ।

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

6862. श्री लक्खी राम अग्रवाल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने 1989 के खरीफ और रबी मौसमों में उज्जवला एवं प्रताप ब्रांड के यूरिया की बिक्री की थी, यदि हां, तो मध्य प्रदेश में इसकी बिक्री की मात्रा का जिला वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 1989 के खरीफ और रबी मौसमों के दौरान मध्य प्रदेश में उर्वरकों के भंडारण के लिये बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश में प्रत्येक उर्वरक भंडारण केन्द्र की वर्ष 1989 की आरक्षित मात्रा का केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश में निजी विक्रेताओं के लिये "डीलर आफ साइट" (डी.एस.पी.) के नाम से 1989 में खरीफ और रबी मौसमों में उर्वरक भंडारण की कोई योजना थी, यदि हां, तो प्रत्येक भंडारण केन्द्र और उसकी भंडारण क्षमता का जिला वार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) वर्ष 1989 के दौरान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को राज सहायता के रूप में दी गई कुल राशि का राज्य वार ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) : (क) जी, हां, 1989-90 के दौरान मध्य प्रदेश के 45 जिलों में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि० (आर सी एफ) द्वारा बिक्री की गयी उज्जवला